

सखावत एवं अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 4571 सन् 2024)

23 मई 2025

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओक एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह]

विचारणीय मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के औचित्य से संबंधित है, जिसमें दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था , जबकि अभियोजन पक्ष निष्पक्ष विवेचना करने में विफल रहा था और उसने प्रत्यक्षदर्शियों के हलफनामों को दबा दिया था।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 - धारा 34, 302, 307 - हत्या - निष्पक्ष विवेचना करने में विफलता - अपीलकर्ता-अभियुक्त को मृतक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि आरोपी सं. 1 को बरी कर दिया गया - अपीलकर्ताओं द्वारा जमानत आवेदन - सत्र न्यायालय ने दो चश्मदीद गवाहों के हलफनामों पर भरोसा किया और जमानत दे दी - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा - औचित्य:

धारित किया गया: चार में से तीन प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी की जमानत की सुनवाई के दौरान हलफनामे दायर किए, जिसमें कहा गया कि आरोपी इसमें शामिल नहीं है - विवेचना अधिकारी ने जवाबी हलफनामा दायर करके हलफनामों का खंडन नहीं किया , हालांकि उन्हें समय दिया गया था - इस प्रकार, हलफनामों के आधार पर आगे की विवेचना करने में विफल रहने से अभियोजन पक्ष निष्पक्ष विवेचना करने में विफल रहा - इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

हलफनामों को दबाने की कोशिश की - अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों - चश्मदीद गवाहों के बयानों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा हुआ - चूंकि अभियोजन पक्ष ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की और अभियोजन पक्ष के गवाहों-चश्मदीद गवाहों के हलफनामों के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री को दबा दिया, केवल सूचनादाता की गवाही के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना असुरक्षित है - हलफनामों के आधार पर आगे की विवेचना करने में विफलता मामले की जड़ तक जाती है - अपराध के हथियारों को बरामद करने में विफलता भी प्रासंगिक है - उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की ओर से विवेचना अधिकारी की जिरह और अभियोजन पक्ष द्वारा हलफनामों को दबाने पर विचार करने में विफलता - उच्च न्यायालय ने इन अत्यधिक प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी की, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया गया और अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों से बरी कर दिया गया। [अनुच्छेद 20-24, 26]

कार्यप्रणाली और प्रक्रिया – विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को “निचली अदालत के रिकॉर्ड” के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए – इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश की पुनरावृत्ति – किसी भी न्यायालय को “निचली अदालत” के रूप में वर्णित करना हमारे संविधान के लोकाचार के विरुद्ध है – उच्च न्यायालय उक्त निर्देश पर ध्यान दें और तदनुसार अनुसार कार्य करें। [पैरा 25]

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; दंड संहिता, 1860।

कीवर्ड की सूची

हत्या; आजीवन कारावास; घायल गवाह; अभियोजन पक्ष के गवाह; निष्पक्ष सुनवाई; अभियुक्त के पक्ष में शपथ पत्र; गवाहों के पूरक बयान; प्रति-शपथ पत्र; निष्पक्ष विवेचना करने में विफलता; महत्वपूर्ण सामग्री को दबाना; हथियार बरामद करने में विफलता; निचली अदालत; निचली अदालत का रिकॉर्ड; संविधान का लोकाचार।

वाद उद्धृत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 4571 वर्ष 2024

सीआरएलए सं. 2670 सन् 1982 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2018 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : मनोज प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, विक्रान्त सिंह बैस।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता : के परमेश्वर, वरिष्ठ ए.ए.जी., सुदीप कुमार, सुश्री कांति, सुश्री मनीषा, सुश्री रूपाली।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

- यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर, 2018 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय में अपीलकर्ता सं. 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'भा.दं.सं.')
- की धारा 302 और धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफआईआर') दिनांक 5 मई, 1981 को अभियुक्त सं. 1 (अबरार), अपीलकर्ता सं. 1/अभियुक्त सं. 2 (सखावत) और अपीलकर्ता सं. 2/अभियुक्त सं. 3 (मेहंदी) के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडब्लू-4 (अमीर हुसैन) एक बबूल के पेड़ के नीचे सो रहा था, और मृतक (सुक्खा) अपनी झोपड़ी में सो रहा था। 4/5 मई, 1981 की मध्य रात्रि को, पीडब्लू-4 (अमीर हुसैन) सुबह 2 बजे बंदूक से गोली चलने की आवाज सुनकर जाग गया। पीडब्लू -5 (अल्लाह बख्श) और पीडब्लू-6 (मोहम्मद हनीफ) भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक (सुक्खा) की झोपड़ी से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एक आवाज और बंदूक से गोली चलने की आवाज सुनी। उन्होंने अपीलकर्ता नं. 1 को देसी पिस्तौल से लैस, अपीलकर्ता सं. 2 को चाकू से लैस, और अभियुक्त सं. 1 को डंडा लिए हुए देखा। कथित तौर पर, अभियुक्तों ने मृतक और पीडब्लू-7 (नन्ही) के साथ हाथापाई की, जो कथित तौर पर अवैध संबंध में थे। अपीलकर्ता सं. 2 ने पीडब्लू-7 की गर्दन पर अपनी चाकू से वार किया। अभियुक्त भाग गया और मृतक अपनी झोपड़ी के पास चोटों के कारण काँपता हुआ पाया गया, और अंततः चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

3. 16 अक्टूबर 1982 को, निचली अदालत ने अपीलकर्ता सं. 1 और अपीलकर्ता सं. 2 को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निचली अदालत ने अभियुक्त सं. 1 को बरी कर दिया क्योंकि उसने केवल डंडा लिया हुआ था और मृतक या पीडब्लू-7 पर डंडे से लगी चोट के कोई निशान नहीं पाए गए थे।

4. वर्तमान अपीलकर्ता अभियुक्त सं. 2 और 3 हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि की।

5. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 10 गवाहों से पूछताछ की है। पीडब्लू-1 (डॉ. आर. एम. भारद्वाज) वह डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, पीडब्लू-2 (डॉ. के. चंद्रा) वह डॉक्टर हैं जिन्होंने पीडब्लू-7 की चोटों की जाँच की थी, और पीडब्लू-3 (डॉ. प्रतिभा गुप्ता) स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने पीडब्लू-7 की जाँच की थी। पीडब्लू-4 (आमिर हुसैन) सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता है जिससे अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई है। वह कुछ ही कदम की दूरी पर सो रहा था जब उसने शोर सुना और अपराध स्थल की ओर दौड़ा। पीडब्लू-5 (अल्लाह बख्श) और पीडब्लू-6 (मोहम्मद हनीफ) से चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई है और वे गोली चलने की आवाज सुनकर अपराध स्थल पर पहुँचे थे। पीडब्लू-7 एक घायल गवाह है जिसका कथित तौर पर मृतक के साथ अवैध संबंध था और उसे तब पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया जब उसने दावा किया कि पीडब्लू-4 और अभियुक्त सं. 1 ने मृतक को गोली मारी थी और उसे घायल कर दिया था। पीडब्लू-8 (राज बहादुर सिंह) वह कांस्टेबल है जो शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गया था। पीडब्लू-9 (नूरा) मृतक और पीडब्लू-7 दोनों से परिचित था और उसने मृतक और पीडब्लू-7 के बीच संबंध होने की गवाही दी। पीडब्लू-10 (हरपाल सिंह) वह विवेचना अधिकारी है जिसने पंचनामा कार्यवाही शुरू की,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

घटनास्थल का नक्शा बनाया, ज़ब्ती तैयार की और गवाहों के बयान दर्ज किए।

दलीलें

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों का अवलोकन कराया। उन्होंने दलील दी कि पीडब्लू-5 (अल्लाह बख्श) और पीडब्लू-6 (मोहम्मद हनीफ) दोनों ने अपीलकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर विचार के समय शपथ पत्र दिए थे। वे शपथ पत्र अभियुक्तों के पक्ष में थे। हालाँकि दोनों गवाहों ने अपनी जिरह के दौरान ऐसे शपथ पत्र दाखिल करने से इनकार किया है, लेकिन बचाव पक्ष के गवाहों ने इस तथ्य को साबित कर दिया है कि ऐसे शपथ पत्र दाखिल किए गए थे। उन्होंने बताया कि पीडब्लू-5 ने कहा कि वह पीडब्लू-4 के साथ पुलिस स्टेशन गया था और उसे पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था। हालाँकि, पीडब्लू-5 के पुत्र पीडब्लू-6 का कहना है कि पीडब्लू-5 पुलिस स्टेशन नहीं गया था।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो दिखाए कि मृतक और पीडब्लू-7 के बीच अवैध संबंध थे। उन्होंने कहा कि पीडब्लू-7 के साक्ष्य से पता चलता है कि पीडब्लू-4 और अबरार नाम का एक व्यक्ति असली अपराधी हैं। उन्होंने पीडब्लू-7 के भाइयों को झूठा फंसाया है। उन्होंने बताया कि हालांकि घटना 5 मई 1981 को सुबह 2 बजे हुई थी, लेकिन एफआईआर सुबह 6:30 बजे ही दर्ज की गई थी। मृतक के शव का पंचनामा सुबह 11:30 बजे किया गया था। पोस्टमॉर्टम दोपहर 03:40 बजे किया गया था। उन्होंने कहा कि यह देरी अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर संदेह पैदा करती है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं (अपराध के हथियारों) की बरामदगी साबित नहीं हुई। यहां तक कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट (संक्षेप में, एफएसएल रिपोर्ट) को भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य, जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं की भूमिकाएँ बताते हैं, को चुनौती नहीं दी गई क्योंकि न तो कोई सारवान विरोधाभास था और न ही कोई चूक रिकॉर्ड में लाई गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-4 का साक्ष्य भी विश्वसनीय है और स्वीकार किए जाने योग्य है। उन्होंने बताया कि पीडब्लू-7 अपने बयान से पलट गई और इसलिए, उसके साक्ष्य को विचारणीय नहीं माना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा तथ्यों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समवर्ती निष्कर्ष दिए गए हैं। पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 की गवाही पर भरोसा करते हुए, और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में किसी भी प्रकार की विकृति के अभाव में, आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

विचारण

9. हमने अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। पीडब्लू-4 प्रथम सूचनादाता है। उसने कहा कि वह अपीलकर्ताओं को जानता था। उसने कहा कि अभियुक्त सं. 1 और अपीलकर्ता न्यायालय में उपस्थित थे। उसने कहा कि अभियुक्त सं. 1 और अपीलकर्ता सं. 1 सगे भाई थे, और अपीलकर्ता सं. 3 उनका चचेरा भाई था। उसने बताया कि अपीलकर्ता सं. 1 और अभियुक्त सं. 1 घायल गवाह, पीडब्लू-7 के भाई थे। उसने कहा कि मृतक का पीडब्लू-7 के साथ अवैध संबंध था। उसने कहा कि वह मृतक के साथ संयुक्त खेती करता था। उसने घटना का वर्णन किया जो रात 2:00 बजे हुई थी। उसने कहा कि मृतक अपनी झोपड़ी में सो रहा था, और वह एक बबूल के पेड़ के नीचे सो रहा था। जब उसने गोली की आवाज सुनी, तो उसने अपनी आँखें खोलीं और पाया कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 वहाँ आए थे। उसने झोपड़ी के अंदर से एक आवाज सुनी, "भाई, तुमने यह गलत किया है"। इसके बाद, एक और गोली की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि उसने टॉर्च जलाई और झोपड़ी की ओर देखा। उसने अपीलकर्ता सं. 1 को अपने हाथ में एक देसी पिस्तौल के साथ देखा। अपीलकर्ता सं. 2 के हाथ में एक चाकू था, और अभियुक्त सं. 1 के हाथ में एक डंडा था। वे पीडब्लू-7 को घेरे हुए थे। जब गवाह ने शोर मचाया, तो तीनों आरोपी भाग गए। उसने कहा कि पीडब्लू-7 के पेट पर गोली का घाव और उसकी पीठ पर चाकू का घाव था। उसने कहा कि मृतक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जिरह में, उसने कहा कि उसने मृतक और पीडब्लू-7 के बीच अवैध संबंध नहीं देखा। उसने कहा कि यह गाँव में एक आम चर्चा थी। गोलीबारी की दूसरी आवाज पर, जिरह में इस सवाल का जवाब देते हुए कि गोली किसने और किस पर चलाई, पीडब्लू-4 ने कहा कि उसने केवल दूसरी गोली की आवाज सुनी थी उसने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस ने उसे अगले दिन तक हिरासत में रखा।

10. अब हम पीडब्लू-5 के साक्ष्य पर आते हैं। उसने न्यायालय के समक्ष तीनों अभियुक्तों की पहचान की। उसने बताया कि रात के 2 बजे वह पीडब्लू-6 (मोहम्मद हनीफ) के साथ अपनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

झोपड़ी में सो रहा था। बंदूक की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह तीन सेल वाली टॉर्च लेकर मृतक (सुक्खा) की झोपड़ी के पास गया, तो उसने देखा कि अभियुक्त सं. 1, अपीलकर्ता सं. 1 और अपीलकर्ता सं. 2 पीडब्लू-7 को घेरे हुए थे, जो उनसे कह रहा था, "भाई, तुमने गलत किया है"। इसके बाद, गोली चलने की दूसरी आवाज आई। फिर तीनों अभियुक्त भाग गए। उसने बताया कि अपीलकर्ता सं. 1 के पास एक देसी पिस्तौल और अपीलकर्ता सं. 2 के पास एक चाकू था। जिरह के दौरान, उसे 'ए' अंकित हलफनामे से रूबरू कराया गया और यह सुझाव दिया गया कि इस हलफनामे को उसने उस समय सत्यापित किया था जब अपीलकर्ताओं की जमानत याचिका पर विचार किया जा रहा था। गवाह ने ऐसा कोई हलफनामा देने से इनकार किया। उसने दोहराया कि उसने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। हालाँकि, जिरह के दौरान उससे हलफनामे के विशिष्ट अंश नहीं पूछे गए। उसने बताया कि वह सुबह 8:00 बजे पुलिस स्टेशन गया था और अगले दिन सुबह 8:00 बजे तक वहीं रहा। उसने बताया कि सब-इंस्पेक्टर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन से चले गए और निर्देश दिया कि गवाह को जाने न दिया जाए। उसने बताया कि उसका बेटा, पीडब्लू-6 (मोहम्मद हनीफ), पुलिस स्टेशन नहीं गया। पीडब्लू-5 के इस कथन को भी जिरह में चुनौती नहीं दी गई कि अपीलकर्ता एक देसी रिवॉल्वर और चाकू के साथ मौजूद थे और पीडब्लू-7 को घेरे हुए थे।

11. अब हम पीडब्लू-6 (मोहम्मद हनीफ) की गवाही पर आते हैं। उसने बताया कि घटना के दिन सुबह 2 बजे वह अपने पिता पीडब्लू-5 के साथ घर पर सो रहा था। गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी आँख खुल गई। इसके बाद, वह पीडब्लू-5 (अल्लाह बख्श) के साथ मृतक (सुक्खा) की झोपड़ी की ओर गया। उसने बताया कि पीडब्लू-4, जो बबूल के पेड़ के नीचे सो रहा था, भी जाग गया। उसने एक आवाज सुनी, "भाई, मैं सच कह रहा हूँ और सबको बता दूँगा कि तुमने गलत किया है।" फिर उन्होंने एक और गोली चलने की आवाज सुनी। उसने बताया कि पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 टॉर्च लिए हुए थे और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने तीनों आरोपियों को पीडब्लू-7 को घेरे हुए देखा। उसने यह भी बताया कि अपीलकर्ता सं. 1 के हाथ में एक देसी पिस्तौल और अपीलकर्ता सं. 2 के हाथ में एक चाकू था। जब वे चिल्लाए और आरोपियों की ओर दौड़े, तो तीनों आरोपी भाग गए। जिरह के दौरान, पीडब्लू-6 को 'बी' अंकित एक हलफनामा दिखाया गया। उसने ऐसा कोई हलफनामा पेश करने से इनकार किया। अपीलकर्ताओं के पास क्रमशः एक देसी बंदूक और एक चाकू होने के संबंध में, कोई गंभीर जिरह नहीं हुई। इस प्रकार,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दो गोलियों की आवाज सुनने, अभियुक्त द्वारा पीडब्लू-7 को घरे होने और अभियुक्त द्वारा हथियार लिए हुए होने के उसके बयान को चुनौती नहीं दी गई।

12. पीडब्लू-7 की चोट के संबंध में, पीडब्लू-2 (डॉ. के. चंद्रा), जो एक चिकित्सा अधिकारी थे और जिन्होंने पीडब्लू-7 की जाँच की थी, ने बताया कि गोली लगने के कई घाव थे। गर्दन के आगे और बाईं ओर 6 सेमी x 2 सेमी का एक गहरा घाव था, जो मांसपेशियों तक गहरा था। चार खरोंच के निशान पाए गए। उन्होंने कहा कि यह घाव चाकू से लगने का हो सकता है। इस पहलू पर शायद ही कोई जिरह हुई हो।

13. मृतक के शरीर की जाँच करने वाले वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, पीडब्लू-1 (डॉ. आर. एम. भारद्वाज) ने बताया कि 3 सेमी x 2 सेमी आकार का एक बन्दूक का घाव, छाती की गुहा में, बाईं ओर छाती के सामने, बाएँ निप्पल के ठीक नीचे, गहराई में देखा गया था। उन्होंने बताया कि बन्दूक का घाव सामान्यतः मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।

14. पीडब्लू-7 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि पीडब्लू-4 ने ही उसके पेट में गोली मारी थी, और अबरार ने उसकी गर्दन में चाकू मारा था।

15. डीडब्ल्यू-1 छंगू नामक व्यक्ति है, जो गाँव का प्रधान था। उससे पूछताछ में पता चला कि पीडब्लू-4 को गिरफ्तार किया गया था और दो दिनों तक हवालात में रखा गया था। उसने बताया कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के हलफनामे रामपुर कचहरी में उसकी मौजूदगी में तैयार किए गए थे। उसने बताया कि टाइपिस्ट द्वारा हलफनामे टाइप करने के बाद, उसने उन्हें पढ़ा। डीडब्ल्यू-1 ने बताया कि शपथ आयुक्त ने उन्हें हलफनामे पढ़कर सुनाए। उसने बताया कि गवाहों ने बयानों के नीचे अपने अंगूठे के निशान लगाए थे। हमें पता चला कि मुख्य परीक्षण में उसे 'ए' और 'बी' चिह्नित हलफनामे नहीं दिखाए गए थे।

16. डीडब्लू-2 मुमताज अली हैं, जो एक अधिवक्ता के साथ उनके कार्यालय में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने उनके सामने अपने अंगूठे के निशान लगाए थे और उन्होंने उनकी पुष्टि भी की थी। डीडब्लू-3 (राधेश्याम, एडवोकेट) शपथ आयुक्त थे, जिन्होंने बताया कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने उनके समक्ष 'ए' और 'बी' चिह्नित हलफनामों की पुष्टि की थी। डीडब्लू-4 (प्रदीप कुमार गुप्ता) शपथ आयुक्त के क्लर्क हैं, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 को हलफनामे पढ़कर सुनाए थे। डीडब्लू-2 (मुमताज अली) ने 'ए' और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

'बी' चिह्नित बयानों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित गवाह के रूप में दर्ज किए।

17. हमें यहाँ यह दर्ज करना होगा कि पीडब्लू - 4, 5 और 6 की जिरह में कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास या चूक दर्ज नहीं की गई है। दुर्भाग्य से, जिरह बहुत ही अधूरी है। लेकिन, कुछ ऐसा है जो मामले की जड़ तक जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है। यहाँ तक कि पुलिस का भी यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष विवेचना करे। यह निष्पक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असली दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। न्याय व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले।

18. हमने समूचे विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। अपीलार्थी सं. 1 ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी सं. 2 और अभियुक्त सं. 1 ने एक और आवेदन किया। अपीलार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन के आदेश पत्र से पता चलता है कि जमानत आवेदन में हलफनामे प्रस्तुत किए गए थे, और सत्र न्यायालय द्वारा विवेचना अधिकारी को प्रति-शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया गया था। अपीलार्थी सं. 1 को यह देखते हुए जमानत दी गई कि पीडब्लू-4 (शिकायतकर्ता) को छोड़कर सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने हलफनामे दिए हैं कि अपीलार्थी सं. 1 वह व्यक्ति नहीं था जिसने मृतक पर गोली चलाई थी। आदेश में पीडब्लू-7 (नन्ही) के हलफनामे का भी उल्लेख है, जो जमानत आवेदन के रिकॉर्ड में है। हलफनामे में, उसने कहा है कि पीडब्लू-4 (आमिर हुसैन) और अकबर नामक व्यक्ति मृतक पर हमला करने वाले हैं जिन्होंने उसे घायल किया। अभियुक्त सं. 1 और अपीलकर्ता सं. 2 को पीडब्लू-7 (नन्ही) के हलफनामे पर भरोसा करके सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई।

19. उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं दिया। विवेचना अधिकारी, पी.डब्लू.-10 (हरपाल सिंह) से जिरह के दौरान निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए :

“प्रश्न: शिकायतकर्ता को छोड़कर अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने जमानत के समय इस न्यायालय में आरोपियों की ओर से अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए थे, क्या आपने उन शपथपत्रों पर कोई प्रति शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया था?

उत्तर: मुझे गवाह उपलब्ध नहीं मिले, इसलिए मैं यह सत्यापित नहीं कर सका कि उन्होंने हलफनामा दायर किया है या नहीं और इसी कारण से मैं कोई प्रति-शपथपत्र भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दायर नहीं कर सका।

प्रश्न: क्या आप प्रति-शपथपत्र के संबंध में उन गवाहों की तलाश में स्वयं गए थे या आपने किसी को भेजा था?

उत्तर: मैं व्यक्तिगत रूप से गया था।

प्रश्न: आपने केस डायरी में प्रति-शपथपत्र के लिए गवाहों की तलाश के बारे में कुछ भी दर्ज नहीं किया है?

उत्तर: नहीं, महोदय, मैंने विवेचना पूरी करने के बाद केस डायरी बंद कर दी थी।

प्रश्न: क्या आपने प्रति-शपथपत्र के लिए गवाहों का पता लगाने के बारे में सी.डी. में कोई प्रविष्टि दर्ज की है?

उत्तर: मुझे याद नहीं है।

प्रश्न: जब आपको गवाह उपलब्ध नहीं मिले तो क्या आपने न्यायालय में कोई आवेदन दिया था कि आपको गवाह उपलब्ध नहीं मिले इसलिए समय बढ़ाया जाए?

उत्तर: मैंने सरकारी अधिवक्ता को गवाह उपलब्ध न होने की सूचना दी थी।

प्रश्न: क्या आपको घायल नन्ही के शपथ पत्र की प्रति से यह तथ्य पता चला कि आमिर हुसैन ने हत्या की है?

उत्तर: उक्त हलफनामे की प्रति मेरे पास पहुंच गई थी और यह तथ्य उस हलफनामे में उल्लिखित था।

20. इस प्रकार, यह तथ्य कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने अभियुक्तों के पक्ष में जमानत आवेदन में हलफनामे प्रस्तुत किए थे, विवेचना अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहां तक कि पीडब्लू-7 (नन्ही) का हलफनामा भी स्वीकार किया गया है। यद्यपि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 द्वारा हलफनामों के निष्पादन को साबित करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसे अनुलग्नक 'ए' और 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया है, पुलिस ने हलफनामों को भेजकर विवेचना नहीं की और गवाहों के अंगूठे के निशान को विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के तीन प्रमुख गवाह, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, ने सत्र न्यायालय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समक्ष हलफनामे दायर किए थे, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान अपीलकर्ता अपराधी नहीं थे। सत्र न्यायालय ने अभियुक्तों को जमानत देने के लिए हलफनामों का सहारा लिया। हलफनामों की जानकारी प्राप्त करने के बाद, विवेचना अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह हलफनामों और हलफनामों की सामग्री के बारे में इन तीन प्रत्यक्षदर्शियों के पूरक बयान दर्ज करे। उन्होंने एक बेटुका बहाना बनाया है कि उन्होंने प्रति-शपथपत्र दाखिल करके उक्त हलफनामे का खंडन नहीं किया, क्योंकि गवाह नहीं मिल पाए। यदि विवेचना के दौरान गवाह की उपस्थिति आवश्यक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.')

में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। पीडब्लू-10 ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने पीडब्लू-5 से पीडब्लू-7 को उनके आगे के बयान दर्ज करने के लिए बुलाने के क्या प्रयास किए हैं।

21. इस प्रकार, जो परिदृश्य उभर कर आता है वह यह है कि चार में से तीन प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियुक्तों की जमानत की सुनवाई के दौरान हलफनामे दायर किए थे, जिनमें कहा गया था कि अभियुक्त इसमें शामिल नहीं थे। किसी भी कारण से, विवेचना अधिकारी ने हलफनामों का खंडन नहीं किया, हालाँकि उन्हें समय दिया गया था। वास्तव में, पीडब्लू-7 के हलफनामे में यह तर्क दिया गया है कि पीडब्लू-4 और अकबर ही वे हमलावर हैं जिन्होंने मृतक की हत्या की और उसे घायल किया।

22. इस प्रकार, उक्त हलफनामों के आधार पर आगे की विवेचना न करके, अभियोजन पक्ष निष्पक्ष विवेचना करने में विफल रहा है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने हलफनामों को दबाने का भी प्रयास किया।

23. इसलिए, न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-5 से पीडब्लू-7 के बयानों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-5 को उसका बयान दर्ज किए जाने से 24 घंटे पहले पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया था। इससे यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि ये गवाह सच बोल रहे हैं या नहीं। फिर, जो बचता है वह पीडब्लू-4 का साक्ष्य है। पीडब्लू-7 ने हलफनामे में कहा है कि वास्तव में, पीडब्लू-4 ही हमलावर था। चूँकि अभियोजन पक्ष ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है और पीडब्लू-5 से पीडब्लू-7 के हलफनामों के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री को दबा दिया है, इसलिए केवल पीडब्लू-4 की गवाही के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना असुरक्षित है। हलफनामों के आधार पर आगे की विवेचना न करना मामले की जड़ तक जाता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। अपराध के हथियारों को बरामद न कर पाना भी इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में प्रासंगिक हो जाता है।

24. अतः, यह एक ऐसा मामला है जहाँ उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने पीडब्लू-10 की जिरह और अभियोजन पक्ष द्वारा हलफनामों को दबाने पर विचार करने में विफलता दिखाई है। इन अत्यंत प्रासंगिक पहलुओं को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है।

25. निर्णय देने से पहले, हम 8 फ़रवरी 2024 के आदेश में दिए गए निर्देश को दोहराते हैं कि निचली अदालत के रिकॉर्ड को "निचली अदालत का रिकॉर्ड" नहीं कहा जाना चाहिए। किसी भी अदालत को "निचली अदालत" कहना हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। रजिस्ट्री ने इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए 28 फ़रवरी 2024 का एक परिपत्र जारी किया है। उच्च न्यायालयों को उपरोक्त निर्देश का संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

26. अतः, अपील सफल होती है। जहाँ तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं, और अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों से बरी किया जाता है। उनके जमानत बांड निरस्त किए जाते हैं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

हेडनोट्स द्वारा : निधि जैन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।